150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता (एस एण्ड टी–सीएसएस)

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर

क्रमांक/ अतिरिक्त मुख्य अभियंता (एस एण्ड टी–सीएसएस)/जो./प्रेषित– 675 दिनांक :– 31-03-2022

विद्युत दुर्घटना रोकथाम हेतु सुरक्षा उपाय एवं सावधानियां एवं दिशा–निर्देश

विद्युत जनित दुर्घटनाएं विभाग के लिए एक गंभीर चिंता का विषय हैं चाहें वे कर्मचारी की हों अथवा आमजन या पशुओं की। समय–समय पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा अनवरत प्रयास किए जाते रहें हैं, जिसमें कर्मचारियों को सुरक्षित कार्यप्रणाली हेतु उत्तम गुणवत्ता के सुरक्षा उपकरणों का वितरण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाना सम्मिलित हैं। जिसके फलस्वरूप विद्युत दुर्घटनाओं में कमी तो आई हैं, तथापि 'शून्य दुर्घटना लक्ष्य' प्राप्ति हेतु और भी समग्र प्रयास किए जाने की आवश्यकता हैं। अतः विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. प्रत्येक तकनीकी कर्मचारी द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि उसके द्वारा सलंग्न **प्रपत्र–अ** में उल्लेखित शपथ ले ली गई हैं।
2. कर्मचारी कार्य करने से पूर्व सुरक्षा उपकरणों की अपने पास उपलब्धता सुनिश्चित हो जाने पर ही कार्य प्रारम्भ करें। अगर कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं हैं तो इस बारे में तुरंत संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता/लाइन पार्टी इन्चार्ज को आवश्यक रूप से अवगत करावें। सुरक्षा उपकरण उपलब्ध न होने की स्थिति में कर्मचारी द्वारा विद्युत तंत्र पर कोई कार्य नहीं किया जावे साथ ही नियंत्रक अधिकारी द्वारा भी सुरक्षा उपकरणों के अभाव में उसे कार्य हेतु आदेशित नहीं किया जावें।
3. तकनीकी कर्मचारी निर्धारित वर्दी पहन कर ही विद्युत तंत्र पर कार्य सम्पादित करें। कर्मचारी कार्य करते समय हाथ में अंगूठी, ब्रेसलेट, घड़ी आदि नहीं पहने और ढीले कपड़े नहीं पहने। कार्य के दौरान मोबाईल फोन का उपयोग न करें।
4. विद्युत लाईनों व उपकरणों पर कार्य करने से पूर्व लिखित शट डाउन लेकर कार्य करने की अनुमति(Permit to work)प्राप्त करें। यदि दो तरफ से विद्युत प्रवाह (बैक फीड) हैं तो विद्युत प्रवाह दोनों तरफ से बंद करवाने व अर्थिंग करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ करें। कार्य समाप्ति के उपरान्त पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित करने के पश्चात ही कोई व्यक्ति लाईन पर कार्य नहीं कर रहा हैं व अर्थिंग हटा दी गई हैं, 'Permit to work' वापस करें।
5. जिस लाईन पर काम किया जाना हैं उसके ऊपर से यदि अन्य 33/11 केवी व एल.टी. लाईन क्रॉसिंग हो रही हो, तो उसका भी शटडाउन लेवे या उससे पूर्ण सुरक्षा (दोनों ओर से लाइन अर्थ करना) सुनिश्चित करें।

6. शट डाउन दिए जाने के साथ ही सब स्टेशन पर उपस्थित कर्मचारी लॉग शीट में समय,कारण, लेने वाले का नाम मय पद एवं हस्ताक्षर का इन्द्राज करें तथा संबंधित लाईन पर "Shut Down"की तख्ती लगावें। यदि एक फीडर पर एक से अधिक व्यक्ति द्वारा शट डाउन लिया हैं तो उतनी ही शट डाउन प्लेट लगावें।
7. यह अवश्य देख लेवे कि लाईन बंद करवाने के बाद जिस सैक्शन पर कार्य करना हैं, उसे दोनो तरफ से अस्थायी अर्थ कर दिया गया हैं। उसके उपरान्त ही काम शुरू करे। जिस स्थान से शट डाउन लिया हैं वहां पर व कार्य के स्थान से एक स्पान पहले अस्थायी अर्थ संबंधित कर्मचारी द्वारा किया जावे और कार्य पूरा होने पर उसी के द्वारा अस्थायी अर्थ हटाया जाये। एक फेज पर कार्य करना हो ता भी तीनों फेज के तारों को अस्थायी अर्थ से जोड़ना चाहिए। एल.टी. लाईन के न्यूट्रल को भी अर्थ किया जाना चाहिए।
8. विद्युत लाईनों को डिस्चार्ज ऑपरेटिंग/अर्थिंग रोड से ही करें।
9. जी.ओ. (आइसोलेटिंग स्वीच) काटने के पश्चात यह जाँच कर सुनिश्चित कर लें कि इसकी सभी ब्लेडों में विद्युत विच्छेद हो गया हैं अथवा नहीं तथा लाइव पार्ट से ब्लेड की दूरी उपयुक्त हैं।
10. नंगे हाथों से कभी भी अर्थ नहीं लगाना चाहिए और ना ही हटाना चाहिए। हमेशा रबड़ के दस्ताने एवं अन्य स्वीकृत सुरक्षात्मक उपकरण काम में लेने चाहिए।
11. शहरी क्षेत्र में 11 केवी लाईन का शट डाउन केवल कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अनुमोदन पर ही दिया जाए। केवल अधिकृत श्रमिक ही विद्युत लाईनों पर कार्य करें।
12. खम्भे पर सीढ़ी की मदद से चढ़ें। सीढ़ी लकड़ी या इन्सूलेटेड मैटेरियल की बनी होनी चाहिए। सीढ़ी खम्भे पर लगाते समय यह ध्यान रखें कि सीढ़ी की जगह फिसलने वाली न हो अथवा अन्य कामगार द्वारा उसको पकड़कर रखा जाये।
13. जिन खम्भों पर डबल करंट उपलब्ध हैं वहां पर रिप्लेक्टर कलर से डबल करंट की चेतावनी लिखी जाए।
14. जिन स्थान पर डबल सप्लाई आ रही हैं जिसमें से एक सप्लाई को ही काम में लिया जा रहा हों, ऐसे स्थानों पर दूसरी सप्लाई (स्टेन्ड बॉय) को एक स्पान पहले कट पाइन्ट बनाकर वहीं रोक दिया जावें ताकि डबल सप्लाई से कोई दुर्घटना न हों।
15. आमजन तथा पशुओं के साथ हो रही घातक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्टे सेट को स्टे क्लेम्प व स्टे इन्सुलेटर के साथ लगाया जाए।
16. संबंधित सहायक/कनिष्ठ अभियंता प्रत्येक 33/11 केवी सब स्टेशन पर तकनीकी कर्मचारियों को कार्य में प्रयोग हेतु सुरक्षा उपकरण यथा अर्थिंग चेन/रोड, लाइफ रेसीटेटर, रिचार्जेबल टार्च, पाइप रिंच, रबड़ के दस्ताने, इन्सुलेटेड़ प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, नॉन कॉन्टेक्ट वॉलटेज सेन्सर, फर्स्ट एड बॉक्स, रबड़ शीट, सेफ्टी बेल्ट/हेलमेट इत्यादि की स्थायी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे साथ ही यह भी

सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों द्वारा इन सुरक्षा साधनों का भलीभांति उपयोंग किया जा रहा हैं एवं सुरक्षा निर्देशों की भी पालना की जा रही हैं। ऐसा नहीं पाए जाने पर दोषी कर्मचारी को तुरंत निलम्बित किया जावें। यदि कोई कर्मचारी आदतन इस प्रकार की अवहेलना का दोषी पाया जाए तो उसे सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही करें।

17. आमजन व अन्य विभागों को विद्युत लाईनों के निम्न निर्धारित मापदण्डो का प्रचार–प्रसार किया जाना आवश्यक हैं ताकि विद्युत लाईनों के समीप या नीचे नवीन निर्माण के समय विद्युत लाईनों की भूतल से ऊँचाई व दूरी सुनिश्चित की जा सकें।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम 2010 की धारा 58 के अंतर्गत विद्युत लाईनों की भूतल से निम्नानुसार निर्धारित ऊँचाई बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे ताकि घातक/अघातक दुर्घटनाओं को रोका जा सकें।

क्रं. सं.	लाईन वोल्टेज	भूतल से ऊँचाई		
		सड़क क्रॉसिंग पर	सड़क किनारे	अन्य स्थानों पर
1.	एल.टी. लाईन	5.8 मीटर (19 फुट)	5.5 मीटर (18 फुट)	4.6 मीटर (15 फुट) नग्न तारों हेतु
2.	11 केवी लाईन	6.1 मीटर (20 फुट)	5.8 मीटर (19 फुट)	4 मीटर (13 फुट) इंसूलेटेड तारों हेतु
3.	33 केवी लाईन	6.1 मीटर (20 फुट)	5.8 मीटर (19 फुट)	5.2 मीटर (17 फुट)

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम 2010 की धारा 60 एवं 61 के अंतर्गत भवनों की विद्युत लाईनों से निर्धारित दूरी की निम्नानुसारी पालना सुनिश्चित करेंगें।

क्र.सं.	लाईन वोल्टेज	विद्युत लाईनों से दूरी	
		उर्ध्व (Vertical)	क्षैतिज सड़क किनार (Horizontal)
1.	एल.टी. लाईन	2.5 मीटर (8.2 फुट)	1.2 मीटर (4 फुट)
2.	11 केवी लाईन	3.7 मीटर (12 फुट)	1.2 मीटर (4 फुट)
3.	33 केवी लाईन	3.7 मीटर (12 फुट)	2 मीटर (6.5 फुट)

ठेकेदार द्वारा संचालित किये जा रहे 33/11 केवी सब स्टेशनों पर भी आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता एवं सुरक्षा निर्देशों की पालना उपरोक्त प्रकार सुनिश्चित की जावेगी।

निरीक्षण व्यवस्था :-

1. निम्न सारणी अनुसार अधिकारियों द्वारा 33/11 केवी सब स्टेशन एवं अन्य कार्यस्थलों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा :-

अधिकारी का नाम	निरीक्षण कार्यक्रम
मुख्य अभियन्ता	एक माह में एक सब स्टेशन/अन्य कार्य स्थल
अधीक्षण अभियन्ता	एक माह में दो सब स्टेशन/अन्य कार्य स्थल
अधिशाषी अभियन्ता	एक माह में चार सब स्टेशन/अन्य कार्य स्थल
सुरक्षा एवं प्रशिक्षण शाखा के अधिकारी	एक माह में बारह सब स्टेशन/अन्य कार्य स्थल

2. निरीक्षण के दौरान उक्त अधिकारियों द्वारा यह देखा जाएगा कि :-

 2.1. सब स्टेशन पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हैं तथा तकनीकी कर्मचारियों द्वारा कार्य के दौरान इनका प्रयोग किया जा रहा हैं या नहीं।

 2.2. सभी उपकरण सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं।

 2.3. अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं।

 2.4. प्रत्येक सब स्टेशन पर लॉग शीट निर्धारित प्रारूप में हो जिसमें शट डाउन व कर्मचारियों की उपस्थिति का पूर्ण विवरण अंकित हो।

 2.5. सभी कर्मचारियों द्वारा 'Permit to work' एवं शट डाउन तथा लाईन की अर्थिंग संबंधी दिशा निर्देशों की पालना की जा रही यह सुनिश्चित करें।

3. प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी द्वारा संलग्न **प्रपत्र–ब** में निरीक्षण प्रतिवेदन स्वयं के हस्ताक्षर से भरा जाएगा एवं इसकी एक प्रति संबंधित सहायक अभियन्ता को कमियों के निराकरण हेतु अविलम्ब भेजी जाएगी। प्रत्येक निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति वृत्त कार्मिक अधिकारी को भी प्रेषित की जाएगी जिसके द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में बताई गई कमियों को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा प्रति माह विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण, बताई गई कमियों एवं उनके निराकरण हेतु किये गये प्रयासों की रिपोर्ट अग्रिम माह की 5 तारीख तक उप निदेशक कार्मिक (मुख्यालय) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर का **प्रपत्र–स** में प्रेषित की जाएगी।

उपरोक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे। किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता (एस एंड टी – सीएसएस)
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान् तकनीकी निदेशक जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
2. श्रीमान् प्रावैधिक सहायक माननीय प्रबंधक निदेशक जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
3. श्रीमान् संभागीय मुख्य अभियंता (जोधपुर/बाड़मेर/बीकानेर) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. सभी अधीक्षण अभियंता (   ) जोधपुर डिस्कॉम, _________
5. सभी अधिशाषी अभियंता (ओ एण्ड वी) जोधपुर डिस्कॉम, _________
6. सभी सहायक अभियंता (ओ एण्ड एम) जोधपुर डिस्कॉम, _________

अतिरिक्त मुख्य अभियंता (एस एंड टी – सीएसएस)
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर

'प्रारूप – अ'

शपथ

मै...पुत्र श्री..
पद ....यह शपथ लेता हूँ, कि मैं कार्य करते समय निम्नलिखित सुरक्षा नियमों का आवश्यक रूप से ध्यान रखूंगा :–

1. जहाँ आवश्यक होगा, वहाँ लाईन सही प्रकार से बंद करूँगा अथवा शट–डाउन लूंगा। कार्य पूर्ण होने के पश्चात समस्त कर्मचारियों को हटाकर शट–डाउन वापिस करूँगा अथवा लाईन चालू करूँगा।
2. कार्य शुरू करने से पूर्व लाईन को जहाँ से बंद की हैं, अर्थ करूँगा, तथा जहाँ कार्य करूँगा वहाँ पहले लाईन पर अस्थाई अर्थ करूँगा।
3. समस्त उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करूँगा।
4. मेरे अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मचारियों से भी सुरक्षा नियमों का पालन करवाऊंगा।

हस्ताक्षर कर्मचारी

नोट :–

कर्मचारी के अनपढ़ होने की स्थिति में

मैंने उपरोक्त शपथ ध्यानपूर्वक सुन ली हैं तथा मैं इसका पूर्ण रूप से पालन करूँगा।

पढ़कर सुनाने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर कर्मचारी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

प्रतिलिपि :–
अधिशाषी/सहायक अभियन्ता(   )
जोधपुर डिस्कॉम,..

कर्मचारी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

'प्रारूप – ब'

33/11 KV Sub Station Inspection Report

Name Of Sub Station:-	**Name of Sub Office:-**
Sub Station(Discom/Contract):-	**Name of Sub Division:-**
Name of attendant(s):-	**Date:-**
Total No of O/G Feeders:-	**Number of Power Transformers & Capacity :-**
33 KV I/C feeder name/from:-	1
	2
	3

Details of saftey equipments at Sub Station

Equipments	To be Available Nos.	Available Nos.	Short Nos.
Earthing Chain	2		
Life Resuscitator	1		
Re Chargable Torch	1		
Pipe rinch	1		
Rubber Hand Gloves Pair	2 Pair		
Insulated Pliar	1		
Screw Driver	1		
Spanner Set	1		
AC Volatge Detector	1		
Discharge Rod	3		
Safety Belt	1		
Tool Box	1		
Wooden/Fibre Ladder	6		
First Aid Box	1		
Fire Extingusher	1		
Soil Bucket	3		
Rubber sheet	01 No./ Feeder		
(i) 11 KV			
(ii) 33 KV			

Activity	Yes/No
Oil top up of PT required	
Oil leakage	
Silica gel required to be change	
Proper earthing of PT	
GO properly working or not	
DO properly working or not	
Breaker properly working or not	
Name of each feeder in yard written or not	
On shut down plate feeder name written or not	

Details of Facilities available or not

Facility	Yes/No
Boundary wall	
Control Room	
Water Boring	
Yard Light	
Toilet	
Yard Gavelling	
Yard cleaning required	

Work Place Inspection

Inspection	Yes/No	
Log Book & PTW Maintained	Log B.=Yes/No	PTW= Yes/No
Availablity of Safety Items		
Use of Safety Items by workers		
Workers in proper dress or not		

Remarks if any:

Name & designation of
Inspecting Officer:

प्रारूप– स

Details of inspection of 33/11 KV sub-stations/other work place

Name of Circle:-
Reporting month:-

Name of inspecting Officer	No. of inspection carried out		No. of deficiency/shortcoming poined out		No. of deficiencies rectified		No. of employees	
	Sub-station	Other places	Sub-station	Other places	Sub-station	Other places	Suspended	Terminated
Chief Engineer								
Superinteding Engineer								
Executive Engineer ( )								
Safety & training Team								

Personnel Officer(   ),
Jd.VVNL,........................

कार्यालय मुख्य अभियंता (एच क्यू)
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर

क्रमांक/मुख्य अभियंता (एच क्यू)/जो./2021–22/प्रेषित– 445 दिनांक :– 31/3/2022

आदेश

समस्त वृत्ताधिकारियों को निर्देशित किया जाता हैं कि डिस्कॉम स्तर पर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाले **'विद्युत तंत्र मरम्मत अभियान–2022'** के तहत् अपने अधीन उपखण्ड के 'विद्युत तंत्र की मरम्मत' सुरक्षा मापदण्डो के अनुसार पालना करवाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

मरम्मत एवंम् सुरक्षा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तय समयावधि में पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें एवंम् उपखण्ड स्तर से दैनिक प्रगति खण्ड अधिकारी द्वारा प्राप्ति सुनिश्चित कर, खण्ड अधिकारी द्वारा वृत्ताधिकारी के माध्यम से अधीक्षण अभियन्ता (QC&S), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को संकलित प्रगति हर सोमवार, 11 बजे तक **Mail ID-sequalitycontrol0404@gmail.com** पर प्रेषित करें।

उक्त कार्य की प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र में भिजवायें, सुरक्षा एवंम् मरम्मत निर्देशों (सलंग्न) की पालना करावें। शट डाउन का समय यथासंभव सुबह 7 बजे से 11 बजे तक एवंम् आवश्यकता होने पर शाम 4 बजे से 6 बजे की समयावधि में ही रखने के निर्देश जारी करावें। शट डाउन की पूर्व सूचना समाचार–पत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी जाये।

नोट :– CEA 2010 Regulation के दिशा निर्देशों की पालना करावें।

सलंग्न :– 1. रखरखाव कार्यक्रम के दिशा निर्देश।
2. दैनिक प्रगति प्रपत्र।

मुख्य अभियंता (एच क्यू)
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् तकनीकी निदेशक जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
2. श्रीमान् प्रावैधिक सहायक माननीय प्रबंधक निदेशक जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
3. श्रीमान् संभागीय मुख्य अभियंता (जोधपुर/बाड़मेर/बीकानेर) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. सभी अधीक्षण अभियंता (   ) जोधपुर डिस्कॉम, ...
5. सभी अधिशाषी अभियंता (ओ एण्ड वी) जोधपुर डिस्कॉम, ...
6. सभी सहायक अभियंता (ओ एण्ड एम) जोधपुर डिस्कॉम, ...

मुख्य अभियंता (एच क्यू)
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर

परिशिष्ट–1

रखरखाव कार्यक्रम की अनुसूची के दिशा निर्देश :–

यह कार्यक्रम जोधपुर डिस्कॉम के उपभोक्ताओं को गर्मी और बरसात के मौसम को देखते हुए चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति करने के उद्देश्य से शुरू किया गया हैं।

1. रखरखाव कार्यक्रम 30/04/2022 तक पूरा किया जाना हैं।
2. समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के लिए विद्युत सप्लाई बंद करने से पहले उचित योजना बनानी होगी।
3. वीसीबी की समस्या को दूर करने के लिए सहायक अभियंता (प्रोटेक्शन) और वीसीबी कंपनी के व्हाट्सएप नंबर/टोल फ्री नंबर को उपखंड के साथ साझा किया जाना हैं।
4. शट डाउन की प्रकिया पीटीडब्ल्यू के द्वारा ही सुनिश्चित होनी चाहिए।
5. जिन 33/11 केवी फिडरों पर ट्रिपिंग/व्यवधान ज्यादा हो, उन फिडरों को विशेष रूप से प्राथमिकता देकर मरम्मत/रखरखाव कर, ट्रिपिंग/व्यवधान की संख्या को नियंत्रित करें।

Circle :-
Division :-

JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED, JODHPUR

FMP-33KV LINE

33 KV Feeder Maintenance Activities carried out Daily progress dt. ....submitted to division office and weekly information submitted to SE(QC) through Circle SE(Q&M)

Feeder Maintainace Activities																
S.No.	Name of Sub-Division	No. of 33 KV Feeders identified for FMP	No. of Feeders where work of FMP is under progress	Trimming of Tree		Tightening of Loose wires/improper sag		Straightening/change of Tilted/Damage pole		Long span where intermediate pole is to be erected		Guarding on road crossing & line crossing		Stay insulator provided		No. of Feeders completed out of Col.No. 3
				Identified	Attended	Identified	Attended	Identified	Attended	Identified	Attended	Identified	Attended	Identified	Attended	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																

SSMP-33/11 KV

Circle :-
Division :-

33/11 KV Sub-Station Maintenance Activities carried out Daily progress dt. ....submitted to division office and weekly information submitted to SE(QC) through Circle SE(Q&M)

Sub-Station Maintainace Activities																		
S.No.	Name of Sub-Division	No. of 33/11 S/S identified for SSMP	No. of Feeders where work of SSMP is under progress	Repair of VCB		Repair/Replacment of non operative VCB		Maintenance of Roster switch & GO set		Replacement of non functioning feeder meter		Installation of new feeder meter		Maintenance of Power Transformer earthing				No. of S/S completed out of Col.No. 3
				Identified	Attended	Identified	Attended	Identified	Attended	Identified	Attended	Identified	Attended	Identified	Attended	earthing resistance value before maintenance	earthing resistance value after maintenance	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																1 2. 3. . .	1 2. 3. . .	
2																1 2. 3. . .	1 2. 3. . .	
3																1 2. 3. . .	1 2. 3. . .	

Assistant Engineer (O&M/Rural)
Jodhpur Discom,..............................

JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED, JODHPUR

FMP-11KV LINE

11 KV Feeder Maintenance Activities carried out Daily progress dt. ....submitted to division office and weekly information submitted to SE(QC) through Circle SE(Q&M)

S.No.	Name of Sub-Division	No. of 11 KV Feeders Identified for FMP	No. of Feeders where work of FMP is under progress	Feeder Maintainace Activities												No. of Feeders completed out of Col.No. 3
				Trimming of Tree		Tightening of Loose wires/improper sag		Straightening/change of Tilted/Damage pole		Long span where intermediate pole is to be erected		Guarding on road crossing & line crossing		Stay Insulator provided		
				Identified	Attended	Identified	Attended	Identified	Attended	Identified	Attended	Identified	Attended	Identified	Attended	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																

Assistant Engineer (O&M/Rural)
Jodhpur Discom,..............................

नोट :– *सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया जाता हैं कि, अपने अधीनस्थ पूर्व में चिन्हित 'हाई रिस्क पॉइन्ट' को दिनांक 30.04.2022 तक शत प्रतिशत दुरस्त कर, पालना रिपोर्ट (प्रमाण पत्र) खण्ड अधिकारी द्वारा प्राप्त कर, वृत्ताधिकारी के माध्यम से अधीक्षण अभियन्ता (QC&S) को 4 मई तक भिजवायें। उपखण्ड स्तर से प्रमाण पत्र एकत्रित करने की जिम्मेदारी खण्ड अधिकारी (अधिशाषी अभियन्ता) की होगी।*

<u>प्रमाण–पत्र</u>

मैं...सहायक अभियन्ता (पवस / ग्रामीण) ....

प्रमाणित करता हूँ, कि आज दिनांक 30.04.2022 को पूर्व में चिन्हित 'हाई रिस्क पॉइन्ट' को शत प्रतिशत दुरस्त कर दिया हैं।

हस्ताक्षर :–